(c) No general decisicMi has been taken on the recommendation of the Fifth Central Pay Commission for abolishing posts under the Government. Matters relating to abolition or creation of posts are decided on the basis of merits and need.

मध्य प्रदेश कैडर के आई.ए.एस. अधिकारियों की पदोन्नति

3311. **श्री गोविन्दराम मिसी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा से कितने अधिकारी आई.ए.एस संवर्ग में पदोन्नत हुए, उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित थी;

(ग) कितने प्रकरणों में विभागीय जांच पूर्ण किए बिना जांच समाप्त कर दी गयी थी और पदोन्नति दे दी गई थी; और

(घ) क्या ऐसे सभी लोग पूर्णरुप से निर्दोष थे, जिनके विरुद्ध जांच समाप्त कर दी गई थी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) और (ख) पिछले दस वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासिनक सेवा संवर्ग में पदोन्नत हुए मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संक्या में और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधिकारियों की संख्या एवं उन अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है, (नीचे देखिए) जिन्हें उनके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल के लंबित होने के कारण प्रवर-सूची में अनंतिम रुप से शामिल किया गया है।

(ग) इस बारे में संलग्न नियमों के अनुसार, प्रवर-सूची में अनंतिम रुप से शामिल किसी ऐसे अधिकारी, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच-पड़ताल लंबित हो, की पदोन्नति पर केवल तभी विचार किया जा सकताहै जब उसके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, प्रवर-सूची की वैधता की अवधि के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य-सरकार की संस्तुति के आधार पर, अधिकारी का नाम प्रवर सूची में बिना शर्त शामिल कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा पहले प्रवर सूची में इधिकारी की अवस्थिति बिना शर्त घोषित करने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत महत्यपूर्ण सूचना एवं रिकार्ड के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग, प्रवर सूची में संबंधित अधाकारी की अवस्थिति "अनंतिम" से "बिना शर्त" करने के संबंध में मामले के गुणवगुणों के आधार पर निर्णय करता है। तत्पश्चात, प्रवर-सूची में इस प्रकार बिना शर्त शामिल किए गए अधिकारी की नियुक्ति के बारे मेम राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे अधिकारी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को अधिसूचित करती है। इस प्रकार यदि ऐसा कोई मामला रहा है जिसमें विभागीय जांच-पड़ताल का कार्य पूरा किए बिना जांच समाप्त कर दी गई, तो वह राज्य सरकार से संबद्ध था। तथापि, प्रवर-सूची में शामिल कोई भी अधिकारी तब तक पदोत्रत नहीं किया जाता जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सेवा में उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजते समय अधिकारी के पक्ष में "कार्य-निष्पादन में गुणहास नहीं" हुआ है, के आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए।

(घ) प्रवर सूची में अनंतिम रुप से शामिल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल का केन्द्र सरकार से कोई वास्ता नहीं होता। प्रवर सूची में, अनंतिम रुप से शामिल अधिकारियों को बिना शर्त शामिल करने की प्रक्रिया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संगत महत्वपूहर्ण रिकार्ड की छान-बीन करने के पश्चात् निष्पादित करता है। ऐसे अधिकारियों की उम्मीदवारी के आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उनके मामले केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के विचारार्थ उपयुक्त ठहरते हैं। ऐसा करते समय प्रवर सूची में अधिकारी का नाम शामिल किए जाने की तारीख और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के संबंध में राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी के "कार्य-निष्पदन में नहीं आया है कि आशय का प्रमाण पत्र ले लेना सुनिस्चित किया जाता है। यहां तक कि, किसी भी अधिकारी का नाम प्रवर-सूची में शामिल किए जाने हुतु मामले पर विचार किए जाने के क्रम में उसके पक्ष में असंदिग्ध सत्यनिष्ठा के प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है।

]**विवरण**

वर्ष 1988-89 से वर्ष 1996-97 की प्रवर-सूचियों में से भा.प्र.से. में पदोन्नत किए गए अधिकारियों की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध, चयन के समय विभागीय जांच लंबित थी।

क्र.सं.	प्रवर सूची का वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध जांच लंबित थी	भा.प्र.से. में पदोन्नत किए गए अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	1988-89	एक	11	शून्य	01
2.	1989-90		कोई बैठक नहीं हुई		
3.	1990-91	चार	13	03	02
4.	1997-92		कोई बैठक नहीं हुई		
5.	1992-93	तीन	14	03	01
6.	1993-94	तीन	08	01	शुन्य
7.	1994-95	शुन्य	12	03	02
8.	1995-96	शुन्य	10	शुन्य	04
9.	1996-97	शुन्य	13	01	01

मध्य प्रदेश में एल.पी.जी. एजेंसियां

3312. **श्री दिलीप सिंह यूदेव**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में, एल.पी.जी. वितरण का कार्य कितनी एजेंसियों को सौंपा गया है;

(ख) वितरण के लिए उन्हें जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रदान किये गए अतिरिक्त कनेस्शनों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में स्वीकृत किये वाले नए कनेक्शनों और नई एजेनसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 321 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थी जिनके ग्राहकों की संख्या 16.89 लाख थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1995-96 से 1997-98 तक के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 3,86,415 कनेक्शन जारी किए गए थे।

पहले की विपणन योजनाओं से लंबित स्थोनों के अलावा 273 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें मध्य प्रदेश के लिए 1996—98 की एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल की गई है। नए कनेक्शन देने का निर्णय 1998-99 के लिए पंजीकरण योजना को अंतिम रुप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

Expansion of HPCL

3313. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) propose to implement its expansion programme;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when these expansion proposed to be programmes are implemented; and

(d) the fund earmarked therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) Hindustan Petroleum Corporation